राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

निगरानी/टी.ए./2005/312/श्रीगंगानगर

राजस्थान राज्य

.....प्रार्थी

बनाम

1– साहबराम (मृतक) पुत्र मनफूलराम जरिये कायम मुकाम :–
1/1– अशोक कुमार)
1/2– संदीप कुमार) पुत्रगण साहबराम
1/3– रमेश कुमार)
1/4– सरिता उर्फ शारदा)
1/5– बनिता) पुत्रियां साहबराम
1/6– अनिता)
निवासीगण वार्ड नम्बर–15, टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

.....अप्रार्थी

एकल पीठ
श्री हरिशंकर गोयल, सदस्य

उपस्थित :–
श्री ओ.पी. भट्ट, उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी
श्री मनीष पाण्डया, अभिभाषक अप्रार्थी

दिनांक :– 20–9–2019

निर्णय

1– यह निगरानी अन्तर्गत धारा–230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर (द्वितीय) कैम्प बीकानेर के निर्णय दिनांक 23–8–1974 के विरूद्ध पेश की गई है।

2- प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि उप खण्ड अधिकारी, हनुमानगढ ने सीलिंग के अन्तर्गत असेसी अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की, जिस पर न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, हनुमानगढ ने असेसी के पास दिनांक 1-4-1966 को कुल धारित 470 बीघा भूमि में से 207 बीघा सीलिंग सीमा तक रखने का अधिकारी मानते हुये 263 बीघा भूमि राज्य सरकार में अधिग्रहण करने का दिनांक 30-7-1974 को आदेश पारित कर दिया था। जिसके विरूद्ध अप्रार्थी साहबराम ने विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर कैम्प बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। जिसे विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर (द्वितीय) कैम्प बीकानेर ने अपने निर्णय दिनांक 23-8-1974 द्वारा स्वीकार कर अपीलार्थी के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि होना नहीं मानते हुये अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त कर दी। विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर (द्वितीय) कैम्प बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23-8-1974 से व्यथित होकर राजस्थान सरकार द्वारा राजस्व मण्डल में एक निगरानी प्रस्तुत की गयी जो दिनांक 13-12-1976 को स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय अपास्त कर दिये और प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया गया। उक्त आदेश दिनांक 13-12-1976 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-79/77 प्रस्तुत की गयी जो निर्णय दिनांक 29-11-1984 द्वारा स्वीकार की जाकर राजस्व मण्डल का आदेश दिनांक 13-12-1976 अपास्त कर प्रकरण राजस्व मण्डल को प्रतिप्रेषित किया गया। राजस्व मण्डल में कार्यवाही नहीं होने पर माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट पिटीशन दाखिल की गयी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 13-12-2004 को आदेश पारित करते हुये उपर्युक्त प्रकरण को निर्णीत करने का आदेश

दिया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में अप्रार्थी ने दिनांक 20–12–2004 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

3– बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4– विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि साहबराम के पास 470 बीघा भूमि थी जिसमें से लगभग 260 बीघा भूमि हस्तान्तरित कर दी गयी थी। प्रकरण पुराने सीलिंग कानून के अन्तर्गत दर्ज है इसलिये पुराने सीलिंग कानून को ध्यान में रखते हुये निर्णय किया जाये।

5– विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी लिखित बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23–8–1974 के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गयी, जो दिनांक 13–12–1976 को निगरानी स्वीकार कर दोनों न्यायालयों का निर्णय निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय में पुनः निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया, जिसमें कानूनी भूल की है। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी का यह भी कथन है कि उप खण्ड अधिकारी, हनुमानगढ ने असेसी के पास कुल भूमि 470 बीघा मानते हुये निर्णय दिया, जो त्रुटिपूर्ण था। उक्त भूमि में से 260 बीघा 9 बिस्वा का हस्तान्तरण पंजीकृत बयनामा / हिब्बानामा के द्वारा निर्धारित तिथि 1–4–1966 से पूर्व किया गया था जो कि पुराने सीलिंग कानून की धारा–30(DD) के अन्तर्गत मान्य है जिसे 470 बीघा भूमि से कम किया जाना चाहिये था साहबराम के परिवार में कुल 5 व्यक्ति थे। प्रत्येक व्यक्ति के लिये 69 बीघा की दर से 345 बीघा भूमि रखने का वह अधिकारी था और जो भूमि दिनांक 1–4–1966 से पूर्व हस्तान्तरित की गयी है उसे भी सीलिंग सीमा में नहीं मानकर

निर्धारण किया जाना चाहिये था। किन्तु उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ ने ऐसा नहीं कर त्रुटि कारित की है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर (द्वितीय) कैम्प बीकानेर ने जो निर्णय दिनांक 23–8–1974 को पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः सीलिंग कार्यवाही ड्रोप की जाये। अपने तर्को के समर्थन में 2006 आरआरडी पेज–281 व 2010(1) आरआरटी पेज–393 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

7– पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि उप जिलाधीश, हनुमानगढ़ के निर्णय दिनांक 30–7–1974 के अनुसार तहसील की रिपोर्ट में साहबराम के पास 470 बीघा भूमि थी। जरिये बंटवारानामा दिनांक 26–2–1970 को आराजी निम्न प्रकार से बांटी गयी है :–

(1) साहबराम (स्वयं)	92 बीघा
(2) अशोक कुमार (पुत्र)	77 बीघा
(3) सन्दीप (पुत्र)	96 बीघा
(4) निर्मला (पुत्री)	85 बीघा
(5) शारदा (पुत्री)	85 बीघा
	कुल–435 बीघा

8– इस प्रकार 470 बीघा भूमि में से 435 बीघा भूमि बांट दी गयी और शेष 35 बीघा भूमि के बाबत घोषणा में कुछ नहीं कहा है। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार साहबराम के स्वामित्व की

भूमि 470 बीघा थी। साहबराम के परिवार में निर्धारित तिथि 1–4–1966 को निम्न व्यक्ति थे :–

(1) साहबराम (स्वयं)

(2) तुलसी देवी (विधवा माता)

(3) अशोक (पुत्र)

(4) सन्दीप (पुत्र)

9– साहबराम की पुत्री व एक अन्य पुत्र रमेश का जन्म निर्धारित तिथि 1–4–1966 के बाद होने के कारण उन्हें परिवार का सदस्य नहीं माना गया था। साहबराम की माता श्रीमती तुलसी देवी पत्नी मनफूलराम विधवा स्त्री है इस कारण पुराने सीलिंग कानून के अन्तर्गत वह परिवार की परिभाषा में आती है। इसलिये साहबराम की माता तुलसी देवी को साहबराम के परिवार का सदस्य माना जायेगा। इस प्रकार साहबराम के परिवार में दिनांक 1–4–1966 को कुल 4 सदस्य थे और इस आधार पर ही गणना की जानी चाहिये थी।

10– पुराने सीलिंग कानून की धारा–30(C) के अन्तर्गत सीलिंग की अधिकतम सीमा का निर्धारण किया गया है जो कि 5 व्यक्तियों तक के परिवार के लिये 30 स्टेण्डर्ड एकड़ है। इस प्रकरण में साहबराम के परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। नियमानुसार उस परिवार के लिये सीलिंग सीमा 30 स्टेण्डर्ड एकड़ होगी। उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ ने अपने निर्णय में परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिये सीलिंग की सीमा 69 बीघा मानी है अर्थात परिवार का प्रत्येक सदस्य 69 बीघा तक भूमि रख सकता है। उक्त तथ्य विवाद का विषय नहीं है इस आधार पर साहबराम अपने परिवार के 4 सदस्यों के हिसाब से 69x4=276 बीघा भूमि रख सकता है। विद्वान उप

खण्ड अधिकारी ने परिवार में 3 सदस्य मानकर जो गणना की है वह सही नहीं है। अतः साहबराम के परिवार में 4 सदस्य होने के कारण वह 276 बीघा भूमि रख सकता है।

11– साहबराम ने 470 बीघा भूमि में से कुछ भूमि का जरिये पंजीकृत दस्तावेज हस्तान्तरण किया है जो निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	हस्तान्तरण की तिथि	हस्तान्तरिती का नाम व स्थान	हस्तान्तरित भूमि का रकबा
1–	28–2–1958	रामेश्वरी देवी जोजा बलराम, सज्जन कुमार, भूपसिंह पिसरान श्री बलराम सा. रामगढ़ तहसील नोहर जिला श्रीगंगानगर।	100 बीघा 4 बिस्वा
2–	1–9–1959	साहबराम वल्द पीलाराम वगैरहा सा. मगर तहसील फाजिल्का जिला फिरोजपुर।	107 बीघा 5 बिस्वा
3–	3–11–1958	श्रीमती मामकोरी जोजारामजस, रामजस वल्द सरदारा सा. टी.बी. तहसील हनुमानगढ़।	40 बीघा
4–	3–11–1958	ओमप्रकाश, हेतराम, बीरबल पुत्र कालूराम सा. माजवाला तहसील पदमपुर।	12 बीघा 18 बिस्वा

12– पुराने सीलिंग कानून के अन्तर्गत सम्पत्ति के हस्तान्तरणों के संबंध में धारा–30(DD) के अन्तर्गत निम्न प्रावधान दिये गये हैं :–

*"**[30DD. Certain transfers to be recognised** - Notwithstanding anything to the contrary contained in section 30D, for the purpose of determining the ceiling area in relation to a person under section 30C-*

(i) Every transfer of land not exceeding thirty standard acres made by a person upto thirty first day of December, 1969 in favour of an agriculturist domiciled in Rajasthan or in favour of his son or brother intending to take to the profession of agriculture and capable of cultivating land personall and who had attained the age of maturity on or before the said date, and

(ii) every transfer to the extent as aforesaid made by af person before the first day of June, 1970 of land comprised in groves or farms of the nature referred to in clauses (a), (b), (d) and (e) of sub-section (1) of section 30 J as it stood prior to the commencement of the Rajasthan Tenancy (Second Amendment) Act, 1970 and acquired before the first day of May, 1959 in favour of his son or brother fulfilling the conditions mentioned in clause (i) and who attains the [age of maturity] on or before the first of the aforementioned dates,

***Explanation- 1.** The expression "agriculturist" in this section shall mean a person who earns his livelihood wholly or mainly from agriculture and cultivates land by his own labour or by the labour of any member of his family or alongwith such labour as aforesaid with the heldp of hired labour or servant on wages payable in cash or in kind and shall inclue an agricultural labourer and a village artisan.*

II. The expression "domiciled in Rajasthan" in this section shall mean a person who permanently resides in Rajasthan " since before the commencement of this Act.]"

13– उक्त प्रावधानों के अनुसार क्रम संख्या–2 पर दर्ज साहबराम वगैरह के पक्ष में हस्तान्तरण राजस्थान प्रान्त से बाहर फाजिल्का, जिला फिरोजपुर (पंजाब) होने के कारण उसे मान्यता प्रदान नहीं की जा सकती है, शेष भूमि का हस्तान्तरण राजस्थान प्रान्त के कृषकों को किये गये हैं जो दिनांक 31–12–1969 के पूर्व के हैं तथा धारा–30(DD) के प्रावधान के अनुसार हैं। अतः उक्त हस्तान्तरणों को वैध हस्तान्तरण माना जायेगा। इस प्रकार साहबराम के द्वारा दिनांक 28–2–1958 को किया गया हस्तान्तरण 100 बीघा 4 बिस्वा दिनांक 3–11–1958 को किया गया हस्तान्तरण 40 बीघा एवं दिनांक 3–11–1958 को किया गया हस्तान्तरण 12 बीघा 18 बिस्वा कुल हस्तान्तरण 153 बीघा 2 बिस्वा पुराने सीलिंग कानून की धारा–30(DD) के अन्तर्गत वैध हस्तान्तरण की श्रेणी में आते हैं। इन वैध हस्तान्तरणों को उप खण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा

मान्यता प्रदान की जानी चाहिये थी किन्तु उन्होंने इन वैध हस्तान्तरणों को मान्यता प्रदान नहीं कर त्रुटि कारित की है।

14– इस प्रकार से साहबराम की भूमि का निर्धारण पुराने सीलिंग कानून के अन्तर्गत करने पर उसकी कुल 470 बीघा भूमि में से उसके द्वारा किये गये वैध हस्तान्तरण 153 बीघा 2 बिस्वा घटाने के बाद शेष भूमि 316 बीघा 18 बिस्वा शेष रही। उसमें से वह अपने परिवार के 4 सदस्यों के लिहाज से 69 बीघा प्रति सदस्य की दर से (4x69=276) अर्थात 276 बीघा भूमि तक वह अपने पास रखने का अधिकारी है। इस हिसाब से उसके पास में 40 बीघा 18 बिस्वा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक बनती है जो कि राज्य सरकार को समर्पित की जानी चाहिये। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने परिवार के सदस्यों की संख्या एवं हस्तान्तरणों को मान्यता प्रदान करने में त्रुटि कारित की है। इस कारण उनके निर्णयों को विधिसम्मत नहीं ठहराया जा सकता है।

15– अतः निगरानी स्वीकार की जाकर उप खण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ का निर्णय दिनांक 30–7–1974 एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर (द्वितीय) कैम्प बीकानेर का निर्णय दिनाक 23–8–1974 को अपास्त किया जाता है और साहबराम की 470 बीघा भूमि में से 429 बीघा 2 बिस्वा भूमि को सीलिंग सीमा के अन्तर्गत मानते हुये शेष 40 बीघा 18 बिस्वा भूमि को सरप्लस भूमि घोषित किया जाता है।

16– पुराने सीलिंग कानून की धारा–30(E) के तहत उक्त सरप्लस भूमि को अप्रार्थीगण द्वारा राज्य सरकार को समर्पित करना

है। अतः अप्रार्थीगण को आदेश दिये जाते हैं कि धारा–30(E)(2) के अन्तर्गत 6 माह में उक्त सरप्लस भूमि 40 बीघा 18 बिस्वा को तहसीलदार टी.बी. को समर्पित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरिशंकर गोयल)
सदस्य